



2026:AHC:129718

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 24881/2026

श्री अनुज शर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के लिए अधिवक्ता : अरुण कुमार पांडेय, प्रवीण कुमार त्रिपाठी

विरोधी पक्षकार के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति, दिनेश पाठक

1. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अदालती अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान आपराधिक विविध आवेदन, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दाखिल किया गया है:

"क) दिनांक 27.08.2025 के उन आदेशों को अभिखंडित किया जाए, जिसके द्वारा विद्वान अपर न्यायालय-3, परक्राम्य लिखत अधिनियम, गौतमबुद्ध नगर ने सीसी/550/2025, जिसका शीर्षक विनय गुप्ता बनाम अनुज शर्मा, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत, पुलिस थाना सेक्टर 20, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर में आवेदक के विरुद्ध अजमानतीय वारंट जारी किए हैं, जो कि पूरी तरह से मनमाना और विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ख) विद्वान विचारण न्यायालय, अपर न्यायालय-3, परक्राम्य लिखत अधिनियम, गौतमबुद्ध नगर को यह निदेश दिया जाए कि वह परिवादी (सी डब्ल्यू -1) के उस प्रतिपरीक्षण को, जो पहले से ही सीसी/551/2025 में अभिलिखित किया जा चुका है, उससे संबंधित मामले सीसी/550/2025 में भी अपनाए, और निदेश दिया जाए कि दोनों मामलों को अभियुक्त के कथन (एसए) को बीएनएसएस की धारा 351 (पूर्ववर्ती दं.प्र.सं की धारा 313) के तहत अभिलिखित करने के लिए एक ही तारीख पर सामूहिक रूप से सूचीबद्ध किया जाए; अथवा वैकल्पिक रूप से, यदि सीसी/550/2025 में नए सिरे से प्रतिपरीक्षण का निदेश दिया जाता है, तो यह निदेश दिया जाए कि सीसी/551/2025 में अभियुक्त के कथन (एसए) को अभिलिखित करने की प्रक्रिया को तब तक रोक कर/प्रास्थगित रखा जाए, जब तक कि सीसी/550/2025 में परिवादी का प्रतिपरीक्षण पूरी तरह से समाप्त न हो जाए, जिससे विरोधात्मक निष्कर्षों से बचने के लिए दोनों विचारण समकालिक रीति से आगे बढ़ें;

ग) विद्वान विचारण न्यायालय को यह निदेश दिया जाए कि वह आवेदक/अभियुक्त को परिवाद मामलों में दं.प्र.सं की धारा 313 (बीएनएसएस की धारा 351) के तहत अभियुक्त का कथन अभिलिखित करने के उद्देश्य से अपने विधिवत प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दें, बशर्ते आवेदक अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक समुचित शपथ पत्र/वचनबंध दाखिल करे, जिसमें यह कहा गया हो कि इस तरह के प्रतिनिधित्व से उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

घ) विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों परिवाद मामलों (सीसी/551/2025 और सीसी/550/2025) में आवेदक/अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थायी छूट प्रदान की जाए, तथा आवेदक को अपने विधिवत प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मुंबई का



स्थायी निवासी है और क्रमबद्ध तथा लंबी खिंचने वाली कार्यवाही के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

ड) इस माननीय न्यायालय से आगे यह प्रार्थना की गई है कि विद्वान अपर न्यायालय-3, परक्राम्य लिखत अधिनियम, गौतमबुद्ध नगर द्वारा परिवाद मुकदमा संख्या सीसी/551/2025, जिसका शीर्षक विनय गुप्ता बनाम अनुज शर्मा, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत, पुलिस थाना सेक्टर 20, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.08.2025 के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए, जिसके द्वारा वर्तमान आवेदन के लंबित रहने के दौरान आवेदक के विरुद्ध मनमाने और अवैध तरीके से अजमानतीय वारंट जारी किए गए हैं, जिससे आवेदक को कोई प्रतिकूल प्रभाव या अपूरणीय क्षति न पहुंचे;"

3. काफी लंबी गहन चर्चा के बाद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना संख्या 1 पर बल दिया है। आवेदक अपने विरुद्ध अजमानतीय वारंट जारी होने से व्यथित है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि असावधानी और जानकारी के अभाव के कारण, आवेदक संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका और मामले में तय तारीख पर अदालती कार्यवाही में भाग नहीं ले पाया, जिसके कारण वर्तमान आवेदक के विरुद्ध अजमानतीय वारंट जारी किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का आशय कभी भी अदालती कार्यवाही से बचने का नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक अदालती कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है, बशर्ते कि उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए कुछ संरक्षण प्रदान किया जाए।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि वर्तमान आवेदक को निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने/अभ्यर्पण करने में सक्षम बनाने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इस परिप्रेक्ष्य में, उपरोक्त के अनुसार, इस आवेदन को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय वर्तमान आवेदन में प्रकथित मामले के गुणागुण पर विचार किए बिना, वर्तमान आवेदन को अंतिम रूप से विनिश्चित करना समुचित समझता है, और इस निदेश के साथ कि यदि वर्तमान आवेदक आज से तीन सप्ताह के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है/अभ्यर्पण करता है और जमानत आवेदन दाखिल करता है, तो संबंधित न्यायालय द्वारा उसके बाद तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उस पर विचार और विनिश्चय किया जाएगा।

7. छह सप्ताह की अवधि के लिए या जमानत आवेदन के निपटारे तक, जो भी पहले हो, उपर्युक्त मामले में वर्तमान आवेदक के विरुद्ध कोई भी प्रपीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी।

8. उपर्युक्त टिप्पणी/निदेश के साथ, वर्तमान आवेदन को अंतिम रूप से निपटाया जाता है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

30 जून, 2026

विनय